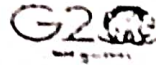




आज़ादी का
अमृत महोत्सव



केन्द्रीय विद्यालय संगठन (मुख्यालय)
श्रीमती मन्मथ देवी भारती राष्ट्रीय स्मारक संग्रहालय
18, संस्थान क्षेत्र, भटिन्द जीव विज्ञान मार्ग, नई दिल्ली-110016.

KENDRIYA VIDYALAYA SANGATHAN (HQs)

An Autonomous Body under Ministry of Education, Govt. of India

18, Institutional Area, S.J. Smarg, New Delhi-110016.

Tel: 011-26521841

Website: www.kvsangathan.nic.in

क.110333/2023-24/के.वि.सं.(मु.)/शैक्षिक/मुख्यालय / 7071

दिनांक: 16.02.2023

उपायुक्त

केन्द्रीय विद्यालय संगठन

मुख्यालय क्षेत्र (Gurugram Region)

विषय: सत्र 2023-24 में केन्द्रीय विद्यालयों की स्टाफ़ स्ट्रेंथ (कक्षाओं के बढ़ाने एवं घटाने) के संबंध में।

नमोदय/नमोदय,

उपरोक्त विषयक staff strength के online web portal/(printed copy) के माध्यम से सत्र 2023-24 के लिए कक्षाओं की स्वीकृति हेतु आपके द्वारा पर दिनांक 04.01.2023 द्वारा भेजे गए प्रस्ताव के संदर्भ में अवगत कराया है कि प्राप्त प्रस्ताव पर विचार के उपरांत सह्य अधिकारी द्वारा निम्नलिखित केन्द्रीय विद्यालयों में सेबरान बढ़ाने एवं घटाने की अनुमति सत्र 2023-24 में प्रदान की जाती है।

क्र.सं.	के.वि. का नाम	सत्र 2023-24 के लिए कक्षाएँ/सेबरान बढ़ाने/घटाने की अनुमति
1	Karnal	No change.
2	Jutogh	No change.
3	No 2, Sirsa	No change.
4	No 3 Faridabad	Sanctioned 2 nd section in class-X.
5	No 1 AFS Gurgaon (1 st shift)	Decreased one section in class-X.
6	NSG Manesar	Decreased one section in class-I. No other change.
7	Bhakhli	Sanctioned 2 nd section in class-X. No other change.
8	Mathana	Sanctioned 2 nd section in class-VI, one section in class-XII(Sc.) and one section in class-XI(Hum.). No other change.
9	Budyar (Jind)	Sanctioned 2 nd section in each class-II to V and one section in class-XII(Sc.). No other change.
10	Beholi, Samalkha	2 nd section in class-I and one section in class-XI(Sc.). No other change.
11	GC CRPF, Sonapat	Sanctioned one section in class-IX.
12	GC CRPF, Kadarapur	Sanctioned one section in class-IX.
13	Bilaspur	Sanctioned one section in class-VII.
14	Dharampur	Sanctioned one section in class-VI.
15	Sandhole	Sanctioned one section in class-XII(Sc.).

अन्य केन्द्रीय विद्यालयों के सेबरानों में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। कृपया संबंधित उपायुक्त स्टाफ़ स्वीकृति हेतु, स्टाफ़ स्वीकृति के मसौदों के अनुसार पूर्णतः जांच कर सुनिश्चित होने के पश्चात ही निम्नलिखित दस्तावेज़ (Proforma-A & Proforma-B), निम्नलिखित प्रमाण पत्र (Certificate) के साथ इस बरसोत्तर को अधिम करवाई हेतु 10 दिनों के अंदर दौरे करें।

"It should further be certified that the calculations are strictly as per staffing norms and there is no deviation."

- संयोजित फॉर्म-ए (Consolidated Proforma-A) duly signed by the Deputy Commissioner of the Region.
- अपके संगठन के अधीनस्थ समस्त केन्द्रीय विद्यालयों में स्टाफ़ स्वीकृति हेतु जारी किया जाने वाला Draft Proforma-B (Soft copy in Excel format).
- इस पत्र के साथ संलग्न Excel Sheet में संयोजित विवरण भी भरकर भेजें।

संबंधित उपायुक्त व्यक्तिगत रूप से ध्यान दें एवं सुनिश्चित करें कि उपरोक्त डाटा/ दस्तावेज़ जो के.वि.सं. मुख्यालय में भेजे जा रहे हैं वे पूर्णतः सही हैं। इसके अतिरिक्त यह भी ध्यान रखें कि जिन-जिन केन्द्रीय विद्यालयों में एक समान कक्षाएँ हैं वहाँ पर सभी कि संख्या भी नियमानुसार, दृष्टान्तव्य समान होनी चाहिए।

(Signature)
17.8.23
प्रमाणित

(Signature)

(Signature)
भारतीय
(परमवी शर्मा)